

6371

S.R.-I

MZN

29



MTK
575/25th/2007

382
2007

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363119



क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार :-	कृषि भूमि
वार्ड/परगना :-	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला/ग्राम :-	बीबीपुर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर):-	खसरा नम्बर 37, 38, 39, 40,
	41, 42,
मापन की इकाई :-	हेक्टेयर

CSK

CSK



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363120



-2-

सम्पत्ति का क्षेत्रफल :-	1.0568 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति :-	मुख्य मार्ग
सम्पत्ति का प्रकार :-	कृषि
पेडों का मूल्यांकन:-	नहीं है
बोरिंग/कुआ/अन्य:-	नहीं है
सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:-	नहीं है
प्रतिफल की धनराशि:-	18,50,000/-रुपये
मालियत:-	18,49,400/-रुपये

CSJ

CSJ

15/6/05

5,000.00	20	5,020.00	800
प्रीति राजपूरी	नकल व प्रति शुल्क	योग	अनुसूचक

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 15/6/2007 समय 4:56PM
करके विकसन्धन हेतु पेश किया।

अधन हेतु पेश किया।

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
15/6/2007

निष्पादन से सम्पन्न कार्य करने व सम्पन्न करने पर जमाने व प्राप्त धनराशि रु. प्रमाणानुसार उक्त

श्री/श्रीमती धरण सिंह
पुत्र/पत्नी श्री हरिलाल
पेशा कृषि
निवासी 190/2/1 सिविल लाईन दक्षिणी
मुजफ्फरनगर



श्री/श्रीमती श्री राधाकृष्ण एस।ओ द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह
पुत्र/पत्नी श्री
पेरा कुमि
निवासी 377 पटेलनगर मंजफकरनगर



ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मीहम्मद याक़ूब
पुत्र श्री हबीब अहमद
पेशा कृषि

निवासी शेरनगर जिला मुजफ्फरनगर

श्री राजेश कुमार अग्रवाल

पुत्र श्री चरण सिंह अग्रवाल

पेज १

निवासी 190/2/1 सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर

५. की ।

प्रत्यक्षता। भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।

CSA

संपूर्ण मॉडल

अशोक कटारिया
उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
15/6/2007

11



उत्तर प्रदेश. UTTAR PRADESH

363121



-3-

निर्धारित दर:- 10,00,000/- रुपये प्रति है0 का
75 प्रतिशत अधिक
स्टाम्प शुल्क:- 1,85,000/- रुपये
किस्म जमीन:- अव्वल आबी
विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।
विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।
प्रथम पक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण
1-चरण सिंह पुत्र श्री हरिलाल निवासी 190/2/1 सिविल लाईन
दक्षिणी मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती

[Signature]

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

363122



-4-

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1:- श्री राधाकृष्ण एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डौ मुजफ्फरनगर
द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह पुत्र श्री मनसुख राम निवासी सन्तोष विहार
मुजफ्फरनगर व्यवसाय:- खेती PAN-ACDPB 2201 P

हम कि चरण सिंह पुत्र श्री हरिलाल निवासी 190/2/1 सिविल
लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेता) व श्री राधाकृष्ण

Cdph

deya

17000
15/6/07
श्री राधाकृष्ण एसीओ द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह
377 पटेलनगर मुजफ्फरनगर
कृषि

केता

Registration No. : 6371

Year : 2007

Book No. : 1

0201 श्री राधाकृष्ण एसीओ द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह

377 पटेलनगर मुजफ्फरनगर

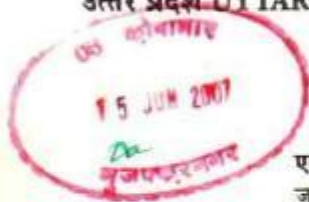
कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363123



-5-

एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डी मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह पुत्र श्री मनसुख राम निवासी सन्तोष विहार मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) है। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई پاک व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति निम्नलिखित को मन, बुद्धि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन अट्ठारह



Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

363124



-6-

लाख पचास हजार रुपये (18,50,000/-रुपये)
आधे जिसके अंकन नौ लाख पच्चीस हजार रुपये (9,25,000/-रुपये)
होते हैं वदस्त श्री राधाकृष्ण एसोसिएट्स 377 पटेल नगर नई मन्डी
मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर जयवीर सिंह पुत्र श्री मनसुख राम निवासी सन्तोष
विहार मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी
है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा बैंक नम्बरी 310207 विजया बैंक
मुजफ्फरनगर दिनांक 15-06-2007ई0 प्राप्त कर लिये है। अब कोई
पैसा बाकी नहीं रहा है। कब्जा व दखल विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष
ने अपना मौके से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का
करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का

CSM

8-2



-7-

कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हें अधिकार होगा कि कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग पर स्थित है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि में कोई पेड़

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674902



-8-

ट्यूबवैल बोरिंग नहीं है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 41,800/-रूपये होती है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 18,49,400/-रूपये होती है लेकिन विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत अंकन 18,50,000/-रूपये में है। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नहीं है जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नहीं हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

CSA/L

8-24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674903



-9-

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम बीबीपुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर:- जो कि कृषि भूमि दरोबस्त खसरा नम्बर 40 रकबई 0.287 है 0 व खसरा नम्बर 41 रकबई 0.236 है 0 व खसरा नम्बर 42 रकबई 0.054 है 0 व खसरा नम्बर 37 रकबई 0.233 है 0 का कुल हक व हिस्सा 2/3 भाग व खसरा नम्बर 38 रकबई 0.323 है 0 व खसरा नम्बर 39 रकबई 0.326 है 0 कुल दो किते रकबई 0.649 है 0 का कुल हक व हिस्सा 1/2 भाग विक्रीत रकबा 1.0568 है 0, लगान सालाना 52.25 रूपये किस्म जमीन जंगल

CSA

Sen



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

674904



-10-

अध्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

CSA

CSA

साक्षी

Sanjay Kumar Agni
S/o Sh. C. S. Agni
12012-1, Civil line South
Muzaffarnagar

साक्षी

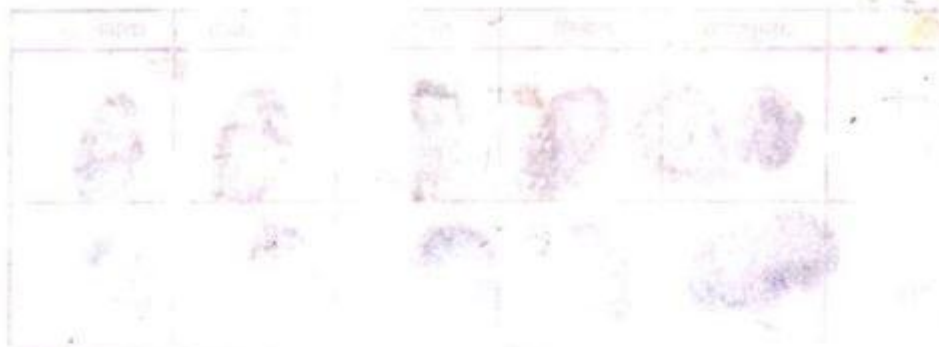
[Signature]

तहरीर ता०:-15-06-2007 ई०

ड्राफ्ट कर्ता:-विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

[Signature]

236



आज दिनांक	15/06/2007	को			
यही सं	1	जिल्द सं	3580		
पृष्ठ सं	207	से	230	पर कमांक	6371
रजिस्ट्रीकृत किया गया।					

अशोक कटारिया

15/6/2007

--

